

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश

का०आ० सं०- प्र०-6/द०बि० निबंधन-03-1113/2007 126 /पटना, दिनांक 20.10.16

मेसर्स KPS Structure Makers Pvt Ltd, House No-536, Road No-6, Magadh Colony, Gaya के विरुद्ध आरोप है कि उनके द्वारा पथ प्रमंडल अरवल के अन्तर्गत कुर्था-लारी-टेकारी पथ के कि०मी० 0.00 से 6.7 में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु दिनांक-23.12.2014 को प्राप्त निविदा में वरीय परियोजना अभियंता, पथ प्रमंडल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का फर्जी पत्रांक-775 अनु०, दिनांक-31.07.2010, पत्रांक-592 दिनांक-26.05.2011 एवं पत्रांक-775 दिनांक-31.07.2011 Upload किया गया।

2. उक्त निविदा में संवेदक द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र की जाँच वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से करायी गयी। वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-48, दिनांक-21.02.2015 के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त सभी प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है।

3. उक्त आरोप के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1921 अनु० दिनांक-05.06.2015 द्वारा संवेदक M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी- 01 (प्रथम)-100/2007, पथ) को निविदा में गलत अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करने के लिए उनके विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका- 11 (क) (vii) में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-प्र०-6/द०बि० निबंधन-03-1113/2007- 4386 (E) अनु०, दिनांक-16.07.2015 के माध्यम से संवेदक M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd को विषयांकित निविदा में गलत अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करने के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की पृष्ठभूमि में विभागीय पत्रांक-5842 (ई०) दिनांक-09.09.2015 द्वारा अन्तिम रूप से स्मारित किया गया।

क०पृ०उ०

5. उक्त के आलोक में संवेदक M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd के पत्रांक-KPS/Gaya/77-2015 दिनांक-30.10.2015 द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें संवेदक द्वारा उल्लेख किया गया कि विषयांकित कार्य के निविदा में उनके द्वारा अपलोड किया गया प्रमाण-पत्र, वरीय परियोजना अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से ही निर्गत है, जिसकी सत्यता हेतु वे शपथ-पत्र देने को तैयार है एवं उक्त अनुभव-प्रमाण पत्रों में किए गए हस्ताक्षर की जाँच F.S.L बिहार सरकार से कराकर सत्यता की जाँच की जा सकती है अथवा अनुभव प्रमाण पत्रों में दिए गए मात्रा की जाँच संबंधित मापीपुस्त एवं संबंधित संचिका से मिलान कर की जा सकती है।

6. विभागीय पत्रांक-7068 दिनांक-23.11.2015 द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण वरीय परियोजना अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराते हुए तथ्यों की जाँच कर स्पष्ट एवं समंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में वरीय परियोजना अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-BRPNNL/RDD/021-481 (अनु०) दिनांक-24.11.2015 के द्वारा निर्गत पंजी की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया कि पत्रांक-592 दिनांक-26.05.2011, पत्रांक-775 दिनांक-30.07.2011 एवं पत्रांक-775 दिनांक-31.07.2010 के द्वारा कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

7. पुनः संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं तदआलोक में वरीय परियोजना अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-744 (ई०) दिनांक-01.02.2016 के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना से संवेदक मेसर्स M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd के स्पष्टीकरण में किये गये दावे के आलोक में उक्त अनुभव प्रमाण-पत्र में उल्लेखित मात्रा की जाँच संबंधित मापीपुस्त एवं संचिका से मिलान कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

8. उक्त के आलोक में वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल सं०-2, पटना, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-BRPNNL/PT2/1094 दिनांक-21.07.2016 के द्वारा सूचित किया गया कि M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd इस प्रमंडल के किसी भी निविदा में शामिल नहीं हुए है एवं इनके द्वारा कार्य संपादित नहीं किया गया है। इसकी जाँच कर ली गयी है।

9 उक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत पाया गया कि संवेदक M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है तथा निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए संवेदक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

10. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका- 11 (क) (vii) एवं विभागीय ज्ञापांक-5403 (एस) दिनांक-18.06.2015 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-154 दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (4) के प्रावधान के आलोक में संवेदक M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी- 01 (प्रथम)-100/2007, पथ) को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

निबंधित

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० निबंधन-03-1113/2007- 6950(E)/पटना, दिनांक 20.10.16
प्रतिलिपि :- M/s KPS Structure Makers Pvt Ltd, House No-536, Road No-6, Magadh Colony
Gaya 823001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० निबंधन-03-1113/2007- 6950(E)/पटना, दिनांक 20.10.16
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण
कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास
विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० निबंधन-03-1113/2007- 6950(E)/पटना, दिनांक 20.10.16
प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प०
अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र०-6/द०बि० निबंधन-03-1113/2007- 6950(E)/पटना, दिनांक 20.10.16
प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता
(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित
प्रेषित।